अनुसूची में उल्लिखित सम्पत्ति में जो लोग हिस्सा पायेंगे वे अपने हिस्से का अन्तरण अन्य हिस्सा धारकों को ही करेंगे किसी अपरिचित को नहीं। यहाँ अन्तरण पर प्रतिबन्ध पूर्ण है; अतः शून्य है।

आंशिक प्रतिबंध

एक ऐसी शर्त जो केवल आंशिक रूप से अन्तरण को प्रभावित करती है, वैध है। मुहम्मद रजा बनाम अब्बास बाँदी बीवी नामक वाद में प्रिवी कौंसिल ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह शर्त कि सम्पत्ति को किसी अपरिचित को (परिवार से बाहर) न अंन्तरित किया जाय, पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं है, अतः वैध है।

समझौते में अन्तरण पर प्रतिबन्ध

एक समझौता सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत 'अन्तरण' नहीं है। अतः यह धारा उस पर लागू नहीं होती और ऐसा समझौता जो परिवार में किया गया है भले ही उसमें अन्तरण पर प्रतिबन्ध लगाया गया हो, वैध है।

जहाँ सम्पत्ति के अन्तरण के विरूद्ध प्रतिबंध एक विनिर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों तक ही सीमित है वहाँ ऐसा प्रतिबन्ध आंशिक है। इसका कारण यह है कि वे व्यक्ति जिनको अन्तरितीं सम्पत्ति का अन्तरण नहीं कर सकता बहुत ही सीमित है और जिन्हें वह सम्पत्ति का अन्तरण कर सकता है वे अधिक हैं। यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि अन्तरण का पूर्ण अधिकार छीन लिया गया है।

अपवाद पट्टा

पट्टादाता पट्टा प्रदान करते समय यदि यह शर्त लगाता है कि पट्टेदार उसे किसी को उप पट्टे पर नहीं देगा या अपना हित अन्तरित नहीं करेगा तो ऐसी शर्त वैध है। परन्तु ऐसी शर्त पट्टाकर्त्ता (पट्टादाता) के लाभ के लिए होना चाहिए। पट्टा भले ही स्थायी क्यों न हो, ऐसी शर्त (कि पट्टेदार अपना हित अन्तरित नहीं करेगा) लगाई जा सकती है और वैध होगी।

विवाहित महिला

विवाहित महिला सम्पत्ति अधिनियम (1874) की धारा 8 के अनुसार यदि किसी विवाहित महिला के विरूद्ध कोई डिक्री पारित की गई है तो ऐसी डिक्री का निष्पादन उस सम्पत्ति की बिक्री करके नहीं की जा सकती जिसका विवाह के दौरान अन्तरित करने का अधिकार महिला को नहीं है।

हिन्दू एवं मुस्लिम विधि

मुसलिम विधि में भी एक ऐसी शर्त जो दान के साथ जुड़ी हुई है कि दान की हुई सम्पत्ति का अन्तरण नहीं किया जा सकता शून्य है।

धारा 11 सृष्ट हित के विरूद्ध निर्बन्धन

जहाँ कि सम्पत्ति के अन्तरण पर सम्पत्ति में किसी व्यक्ति के पक्ष में हित आत्यन्तिकतः सृष्ट किया जाता हो, किन्तु अन्तरण के निर्बन्धक निदेश करते हों कि वह ऐसे हित का किसी विशिष्ट रीति में उपयोजन या उपभोग करे, वहाँ वह ऐसे हित को ऐसे प्राप्त और व्ययनित करने का हकदार होगा मानों ऐसा कोई निदेश था ही नहीं।

जहाँ कि ऐसा कोई निदेश स्थावर सम्पत्ति के एक टुकड़े के बारे में उस सम्पत्ति के दूसरे टुकड़े के फायदाप्रद उपभोग को सुनिश्चित करने को प्रयोजन से किया गया हो, वहाँ इस धारा की कोई भी बात किसी अधिकार पर, जो अन्तरण ऐसे निदेश का प्रवर्तन कराने के लिए रखता हो, या किसी ऐसे उपचार पर जो वह उसके भंग के बारे में रखता हो, प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जायेगी।

व्याख्या

आत्यन्तिक हित के उपभोग लगाने वाली शर्तें 'धारा 11' – यदि किसी को कोई सम्पत्ति या हित एक बार पूर्णतः दे दिया जाय तो फिर उस हित के उपयोग एवं प्रयोग पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध अनुदान के प्रतिकूल होगा। यदि ऐसी कोई शर्त किसी अन्तरण में लगी हो, तो शर्त शून्य मानी जायेगी और हित वैध एवं प्रवर्तनीय रहेगा। यह सिद्धांत उपभोग पर लगे प्रत्येक प्रतिबंध को अवैध करार देता है, शर्त की प्रकृति चाहे आंशिक हो या आत्यन्तिक। बशर्ते अन्तरण द्वारा पूर्ण स्वामित्व दिया गया हो। इस सिद्धांत का भी आधार लोक–नीति ही है। यह सिद्धांत सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 11 तथा इण्डियन सक्सेशन ऐक्ट, 1925 ई० की धारा 138 में निहित है।

टिप्पणी

धारा 11 के अनुसार जहाँ सम्पत्ति के अन्तरण पर अन्तरिती के पक्ष में आत्यन्तिक (पूर्ण) हित का सृजन किया जाता है और साथ–साथ अन्तरणकर्त्ता द्वारा यह शर्त लगाई जाती है कि अन्तरिती ऐसे हित (सम्पत्ति) का उपयोजन या उपभोग किसी विशिष्ट रीति के अनुसार करेगा, वहाँ अन्तरिती हित (सम्पत्ति) को ऐसे प्राप्त करेगा और व्ययनित करने का हकदार होगा कि मानों ऐसा कोई निर्देश या शर्त ही नहीं थी।

उदाहरण के लिए जहाँ 'अ' अपनी सम्पत्ति को विक्रय विलेख के माध्यम से 'ब' को बेचता है और उसमें यह निदेश देता है कि 'ब' सम्पत्ति का उपभोग एक विशेष प्रकार से करेगा वहाँ ऐसा निर्देश धारा 11 के विरूद्ध है और ऐसे निर्देश की उपेक्षा कर दी जायेगी। ऐसी शर्त का अन्तरण पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसी शर्त पश्चात्वर्ती शर्त मानी जानी चाहिए और अगर पश्चात्वर्ती शर्त शून्य होती है तो अन्तरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

दृष्टांत

(i) 'अ' अपना मकान पूर्णरूपेण 'ब' को दान कर देता है इस निर्देश के साथ कि मकान में ब ही निवास करेगा। यहाँ दान आत्यधिक (पूर्ण) है और निर्देश शून्य है। 'ब' मकान में जैसे चाहे निवास कर सकता है।

(ii) 'अ' अपना मकान 'ब' को इस शर्त के साथ दान करता है कि दान जब्त हो जायेगा आगर 'ब' उसमें निवास नहीं करेगा। ऐसी शर्त वैध है क्योंकि दान आत्यधिक (पूर्ण) नहीं है अपितु सशर्त है।

(iii) 'अ' अपनी सम्पत्ति पूर्णरूपेण (पूर्ण रूप से) संयुक्त से 'ब' 'स' एवं 'द' को इस निर्देश के साथ अन्तरित करता है कि वे सम्पत्ति को किसी समय या निश्चित अवधि के लिए विभाजित नहीं करेंगे। ऐसा निर्देश इस धारा के अन्तर्गत शून्य है।

(iv) 'अ' अपनी सम्पत्ति पूर्ण रूप से नकद प्रतिफल के बदले 'ब' को अन्तरित करता है। विक्रय विलेख में एक शर्त यह है कि क्रेता, विक्रेता को सम्पत्ति से होने वाली आय से एक निश्चित धनराशि प्रतिवर्ष देगा। ऐसा निर्देश सम्पत्ति के उपभोग पर एक प्रतिबन्ध है क्योंकि क्रेता सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी है। अतः ऐसा निर्देश शून्य है और अपरिवर्तनीय है।

(v) 'अ' एक विक्रय के माध्यम से अपना फर्म पूर्ण रूप से 'ब' को अन्तरित करता है। विक्रय विलेख में एक अनुबंध यह है कि 'ब' फर्म पर के पेड़ नहीं काटेगा। यह निर्देश अविधिमान्य (शून्य) है क्योंकि विक्रय के माध्यम से अन्तरिती में जिस पूर्ण हित का सृजन किया गया है उसके विरूद्ध है।

उपरोक्त दृष्टान्तों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 11 के प्रावधान वहाँ लागू होंगे जहाँ हित का सृजन पूर्ण रूप से किया गया है। प्रकारान्तर से जहाँ सीमित हित जैसे पट्टाधृति या जीवन हित का सृजन किया गया है, वहाँ इस धारा के प्रावधान लागू नहीं होंगे। पट्टे की स्थित में सीमित हित का सृजन होता है और पट्टेदार पट्टे की शर्तों या प्रसंविदाओं से, चाहे वे अभिव्यक्ति हो या विवक्षित, जो उसके उपभोग की रीति को प्रतिबंधित करते हैं, बाध्य होगा।

अपवाद

धारा 11 का दूसरा पैराग्राफ इस सामान्य नियम का अपवाद प्रस्तुत करता है और टल्क बनाम मोक्से नामक वाद में प्रतिपादित सिद्धांत को मान्यता प्रदान करता है। इस वाद में प्रतिपादित सिद्धांत यह था कि अन्तरणकर्ता अन्तरित की जाने वाली सम्पत्ति के उपयोग एवं उपभोग को प्रतिबन्धित करने वाली शर्त लगा सकता है, यदि ऐसी शर्त उसकी (अन्तरणर्ता की) सटी हुई दूसरी भूमि के लाभप्रद उपभोग के लिए है।

यही सिद्धांत धारा 11 के दूसरे पैराग्राफ में अन्तर्विष्ट है। इस पैराग्राफ के प्रावधानों के अनुसार सम्पत्ति का अन्तरणकर्ता अन्तरित की जाने वाली सम्पत्ति के उपयोग एवं उपभोग को प्रतिबन्ध करने वाली शर्त लगा सकता है, और ऐसी शर्त मान्य भी होगी परन्तु तभी जब ऐसी शर्त या प्रतिबन्ध अन्तरणकर्ता के दूसरी सम्पत्ति के लाभप्रद उपभोग के लिए हो। यहाँ सम्पत्ति से तात्पर्य मूर्त स्थावर (अचल) सम्पत्ति से है, अमूर्त स्थावर सम्पत्ति से नहीं।

अन्तरणकर्ता द्वारा लगाया गया ऐसा प्रतिबन्ध या शर्त दो प्रकार की हो सकती है; नकारात्मक प्रतिबन्ध और सकारात्मक प्रतिबंध। उदाहरण के लिए 'अ' जो एक मकान और उससे सटी भूमि का मालिक है, भूमि को 'ब' को बेंचता है और क्रेता 'ब' से एक प्रसंविदा करता है कि वह मकान से सटे हुए भूमि के एक हिस्से को खुला और स्वतंत्र रखेगा, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करेगा जिससे विक्रेता 'अ' के मकान का प्रकाश एवं हवा बाधित न हो। दूसरे शब्दों में 'ब' भूमि के उस हिस्से पर जो 'अ' के मकान से सटा हुआ है किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करेगा। यह एक ऐसी प्रसंविदा है जो विक्रेता 'अ' के मकान के लाभप्रद उपयोग के लिए है, अतः 'ब' के विरूद्ध प्रवर्तनीय है। ऐसी प्रसंविदा को नकारात्मक प्रसंविदा या प्रतिबंध कहते हैं। दूसरी तरफ जहाँ 'अ' दो भूसम्पत्तियों, 'क' एवं 'ख' का मालिक है, 'क' को वह 'ब' को बेचता है और 'ब' से प्रसंविदा करता है कि वह 'ख' भूमि पर से गुजरने वाली नाली जो 'ख' से सटी हुई है, की मरम्मत करने और चालू हालत में रखने में पैसा खर्च करेगा। ऐसी प्रसंविदा या प्रतिबंध विधिमान्य एवं प्रवर्तनीय है क्योंकि यह 'अ' की भूसम्पत्ति 'ख' के लाभप्रद उपयोग के लिए है।

धारा 10 एवं 11 में अन्तर

(i) जहाँ धारा 10 का सम्बन्ध अन्तरण के विरूद्ध शर्त से है, वहीं धारा 11 का सम्बन्ध सम्पत्ति के स्वतंत्र उपभोग के विरूद्ध प्रतिबन्ध से है।

(ii) धारा 10 दोनों प्रकार के अन्तरणों पर लागू होती है चाहे अन्तरण आत्यन्तिक (पूर्ण) हो या सीमित (आंशिक)। इसका तात्पर्य यह है कि यह धारा वहाँ तो लागू होती है जहाँ अन्तरिती को पूर्ण हित प्राप्त होता है और उसे अपने हित को अन्तरित करने से रोक दिया जाता है, यह धारा वहाँ भी लागू होती है जहाँ अन्तरिती को सीमित हित प्राप्त होता है परन्तु उसे अपने सीमित हित को अन्तरित करने से पूर्णरूपेण प्रतिबन्धित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए जहाँ 'अ' अपना मकान 'ब' को जीवन काल के लिए अन्तरित करता है इस शर्त के साथ कि वह अपने जीवन हित (जो सीमित हित है) को अन्तरित नहीं कर सकता तो ऐसा प्रतिबन्ध उस धारा के अधीन शून्य होगा।

(धारा 12) दिवाले या प्रयोजित अन्य संक्रामण पर हित को पर्यवसेय बनाने वाली शर्त

जहाँ कि इस शर्त या मर्यादा के अध्यधीन सम्पत्ति अन्तरित की जाती है कि किसी व्यक्ति को या उसके फायदे के लिए आरक्षित या दिया हुआ उस सम्पत्ति में का कोई भी हित उस व्यक्ति के दिवालिया होने पर या उसके अन्तरण या व्ययन करने का प्रयास करने पर समाप्त हो जायेगा, वहाँ ऐसी शर्त या मर्यादा शून्य है। इस धारा की कोई भी बात पट्टे में की किसी ऐसी शर्त को लागू न होगी जो पट्टाकर्ता या उससे व्युत्पन्न अधिकाराधीन दावा करने वालों के फायदे के लिए हो।

व्याख्या

यदि किसी अन्तरण के समय यह शर्त रख दी हो कि अन्तरिती को पूर्ण स्वामित्व तो दिया जा रहा है परन्तु यदि अन्तरिती दिवालिया घोषित कर दिया जायेगा तो सम्पत्ति अन्तरणकर्ता के पास वापस चली जायगी ऐसी शर्त तो शून्य होगी किन्तु आन्तरण वैध होगा।

इसी तरह यदि शर्त इस प्रकार हो कि यदि अन्तरिती सम्पत्ति का अन्य संक्रामण करने का प्रयास करेगा तो उसके सारे अधिकार समाप्त हो जायेंगे। यह शर्त भी अवैध तथा शून्य होगी। इस शर्त को शून्य करार देने का उद्देश्य दिवालिया व्यवस्था के विधानों को प्रभावी रखना है ताकि कर्ज देने वाले व्यक्तियों को निराश न होना पड़े। इस वर्ग की शून्य शर्तें धारा 25 तथा धारा 31 (सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम) के अन्तर्गत तो अवैध नहीं कही जा सकती, फिर भी धारा 12 द्वारा उन्हें उत्तरगामी शर्तों के अपवाद रूप में स्वीकार किया गया है।

अपवाद

पट्टों के मामले में धारा 12 तथा धारा 31 दोनों के अपवाद हैं। ऐसे मामलों में दिवालिया या अन्तरण के प्रयास की अवस्था में पर्यवसेयता की शर्त मान्य होगी; क्योंकि यह शर्त पट्टे द्वारा निहित हित के प्रतिकूल नहीं कही जा सकती; पट्टे द्वारा सीमित अधिकार ही दिये जाते हैं।

AMBITION

अध्याय 3 अजात व्यक्ति के फ़ायदे के लिए अन्तरण शाश्वतता के विरूद्ध नियम एवं अन्य उपबंध

सार-परिचय

⇒ धारा 13 अजात व्यक्ति के फायदे के लिए अन्तरण
  ⇒ पूर्विक हित के अधीन
  ⇒ अजात व्यक्ति को सम्पूर्ण हित
⇒ धारा 14 शाश्वतता के विरूद्ध नियम
  ⇒ शाश्वतता की निर्धारित अवधि
  ⇒ भावी हित का अन्तरण वैध एवं प्रवर्तनीय होना चाहिये
  ⇒ इस धारा के आवश्यक तत्व
  ⇒ शाश्वतता के विरूद्ध नियम के अपवाद
  ⇒ नवीनीकरण की शर्त के साथ किया गया पट्टा शाश्वतता के नियम द्वारा नहीं प्रभावित होगा
⇒ धारा 15 उस वर्ग को अन्तरण, जिसमें के कुछ व्यक्ति धारा 13 और 14 के अंदर आते हैं
⇒ धारा 16 अन्तरण का किसी पूर्विक हित की निष्फलता पर प्रभावी होना
⇒ धारा 18 लोक के लाभ के लिए शाश्वत अन्तरण
⇒ धारा 19 निहित हित की परिभाषा
  ⇒ निहित हित की प्रकृति
⇒ धारा 20 अजात व्यक्ति अपने फायदे के लिये किये गये अन्तरण पर कब निहित हित अर्जित करता है
⇒ धारा 21 समाश्रित हिता
⇒ धारा 25 सशर्त अन्तरण एवं इसके आवश्यक तत्व

धारा 13 अजात व्यक्ति के फायदे के लिए अन्तरण

जहाँ कि सम्पत्ति के अन्तरण पर उस सम्पत्ति में कोई हित उसी अन्तरण द्वारा सृष्ट किसी पूर्विक हित के अध्यधीन ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए, जो अन्तरण की तारीख को अस्तित्व में न हो, सृष्ट किया जाता है; वहाँ ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए सृष्ट हित प्रभावी न होगा जब तक कि उसका विस्तार सम्पत्ति में अन्तरक के सम्पूर्ण अवशिष्ट हित पर न हो।

दृष्टांत

'क' उस सम्पत्ति का, जिसका वह स्वामी है, 'ख' को अनुक्रमशः अपने और अपनी आशयित पत्नी के जीवनपर्यन्त के लिए और उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात् आशयित विवाह के ज्येष्ठ पुत्र के जीवनपर्यन्त के लिए और उसकी मृत्यु के पश्चात् 'क' के दूसरे पुत्र के लिए न्यास के रूप में अन्तरित

करता है। ज्येष्ठ पुत्र के फायदे के लिए इस प्रकार सृष्ट हित प्रभावशाली नहीं होता है क्योंकि उसका विस्तार उस सम्पत्ति में 'क' के सम्पूर्ण अवशिष्ट हित पर नहीं है।

टिप्पणी

सामान्यतया सम्पत्ति का अन्तरण एक अजात (अजन्मे) व्यक्ति को सीधे-सीधे नहीं किया जा सकता क्योंकि सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 5 के अनुसार सम्पत्ति का अन्तरण जीवित व्यक्तियों के बीच ही सीमित है। जीवित व्यक्तियों की परिभाषा के अन्तर्गत अज्ञात व्यक्ति नहीं आता। अजात व्यक्ति से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो अस्तित्व में नहीं है। परन्तु इस धारा के प्रावधानों के अनुसार अजात व्यक्ति के लाभ के लिए सम्पत्ति का अन्तरण किया जा सकता है।

अजात व्यक्ति के लाभ के लिए अन्तरण एक न्यास के माध्यम से किया जा सकता है। जब सम्पत्ति अन्तरित की जायेगी तो वह न्यास में निहित हो जायेगी और न्यासी उसके विधिक स्वामी होंगे परन्तु वे सम्पत्ति को अजात व्यक्ति के लाभ के लिए धारित करेंगे। धारा 'अंजात' व्यक्ति उसे मानती है जो सम्पत्ति के अन्तरण की तिथि को अस्तित्व में न हो। परन्तु वह बच्चा जो गर्भ में है उसे आँग्ल एवं हिन्दू दोनों विधियों में अनुसार अस्तित्व में माना जाता है। अतः वह बच्चा जो गर्भ में है, वह एक सक्षम अन्तरिती हो सकता है। दूसरे शब्दों में वह व्यक्ति जो गर्भ में है उसे सम्पत्ति का अन्तरण किया जा सकता है।

पूर्विक हित के अधीन

सम्पत्ति अन्तरण की तिथि और अजात व्यक्ति के अस्तित्व में आने के बीच किसी व्यक्ति में हित अवश्य ही निहित होना चाहिए। इस तरह अन्तरणकर्ता और अजात व्यक्ति के बीच सम्पत्ति को धारित करने वाला एक जीवित विचौलिया अवश्य होना चाहिए जो सम्पत्ति को न्यासी की भांति अजात व्यक्ति के लाभ के लिए धारित करेगा। उदाहरण स्वरूप 'अ' अपनी सम्पत्ति 'ब' को आजीवन हित के लिए और तत्पश्चात् 'ब' के अजात पुत्र को करता है। यह अन्तरण धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार विधिमान्य है। यहाँ 'अ' सम्पत्ति का अन्तरण 'ब' के अजात पुत्र को करना चाहता है जो अन्तरण की तिथि को अस्तित्व में नही है। परन्तु वह अन्तरण सीधे-सीधे 'ब' के अजात पुत्र को नहीं कर सकता अतः उसी सम्पत्ति में उसने ('अ' ने) 'ब' के लिए आजीवन हित का सृजन किया है। इस तरह अन्तरणकर्ता 'अ' और 'ब' के अजात पुत्र के बीच 'ब' एक जीवित विचौलिया है जो सम्पत्ति 'ब' के अंजात पुत्र के लाभ के लिए धारित करता है।

अजात व्यक्ति को सम्पूर्ण हित

धारा 13 की दूसरी आवश्यकता यह है कि अजात व्यक्ति को जब हित प्राप्त होगा तो उसे सम्पूर्ण हित प्राप्त होगा। जब अजात व्यक्ति में सीमित हित का सृजन किया जाता है तब यह धारा हस्तक्षेप करती है और कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको अजात व्यक्ति को सम्पूर्ण हित देना होगा।

ध्यान रहे जब सम्पत्ति का अन्तरण उस व्यक्ति को किया जाता है जो अन्तरण की तिथि पर जीवित है तो उसके पक्ष में आजीवन हित का सृजन किया जा सकता है परन्तु अजात व्यक्ति के पक्ष में आजीवन हित का सृजन नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए 'अ' अपनी सम्पत्ति का अन्तरण 'ब' को जीवन-काल के लिए और उसके पश्चात् 'स' को जीवन काल के लिए और तत्पश्चात् 'द' को जीवन काल के लिए करता है तो ऐसा अन्तरण वैध होगा यदि 'ब' 'स' एवं 'द' तीनों अन्तरण की तिथि पर जीवित हैं। यह धारा ऐसे अन्तरण को प्रतिबंधित नहीं करती।

जहाँ भारतीय विधि में अजात व्यक्ति के पक्ष में आजीवन हित का सृजन नहीं किया जा सकता वहीं आंग्ल विधि में अजात व्यक्ति में आजीवन हित का सृजन किया जा सकता है परन्तु ऐसे अजात

व्यक्ति की संतानों में आजीवन हित का सृजन नहीं किया जा सकता। आंग्ल विधि में इसे 'दोहरी संभावना' के विरूद्ध नियम, जिसे हाइटवी बनाम मिचेल नामक वाद में मान्यता मिली थी, कहा जाता है। दोहरी संभावना इसलिए कि यहाँ दो संभावनायें है, एक तो आजात व्यक्ति को जन्म लेना जिसे आजीवन हित दिया जा रहा है और दूसरे ऐसे अजात व्यक्ति की संतानों का अस्तित्व में आना।

अन्त में सारांश के रूप में हम यह कह सकते हैं कि सम्पत्ति का अन्तरण अजात व्यक्ति के लाभ के लिए किया जा सकता है परन्तु निम्नलिखित नियमों के अधीन :-

(i) अन्तरण अजात व्यक्ति के पक्ष में सीधे-सीधे नहीं किया जा सकता है।

(ii) जब तक कि अजात व्यक्ति अस्तित्व में नहीं आता है तब तक उसी सम्पत्ति में एक जीवित व्यक्ति के पक्ष में पूर्विक हित होना चाहिए। –

(iii) पूर्विक हित की समाप्ति पर सम्पत्ति का अवशिष्ट हित अजात व्यक्ति को दिया जाना चाहिए।

(iv) अधिकतम अवधि जिसके लिए एक अजात व्यक्ति में सम्पत्ति का निहित होना विलम्बित किया जा सकता है वह है उसकी अवयस्कता की अवधि। (यह नियम धारा 14 के अनुसार है)

धारा 14 शाश्वतता के विरूद्ध नियम

कोई भी सम्पत्ति-अन्तरण ऐसा हित सृष्ट करने के लिये प्रवृत्त नहीं हो सकता जो ऐसे अन्तरण की तारीख को जीवित एक या अधिक व्यक्तियों के जीवन-काल के और किसी व्यक्ति की, जो उस कालावधि के अवसान के समय अस्तित्व में हो, जिसे यदि वह पूर्ण वय प्राप्त करे तो वह सृष्ट हित मिलना हो, अप्राप्तवयता के पश्चात् प्रभावी होना है।

विशेषताएँ – शाश्वतता के विरोध में प्रतिपादित सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :-

शाश्वतता की निर्धारित अवधि

शाश्वतता के सिद्धांत के अधार पर एक व्यवस्थात्मक अवधि का निरूपण किया गया है, जिसके बाद अभीष्ट अन्तरण शून्य होगा। धारा 14 के अनुसार यह अवधि जीवित व्यक्ति (चाहे एक हो या अनेक, एक साथ कई संयुक्त रूप से या एक के बाद दूसरे व्यक्ति को) तथा अन्तिम अन्तरिती की अवयस्कता तक की अवधि (यह तभी जुड़ सकेगी जब कि अंतिम अन्तरिती जीवित व्यक्तियों में से अन्तिम हित के समाप्त होने के पूर्व अस्तित्व में आ जाय) है।

शाश्वतता के विरूद्ध सिद्धांत केवल भावी अन्तरणों पर ही लागू होगा

हित के वर्तमान अन्तरणों को शाश्वतता के विरूद्ध नियम लागू नहीं होगा उदाहरणार्थ अ चाहे तो एक व्यक्ति को सारी सम्पत्ति सदा के लिए दे दे, यह पूर्ण स्वामित्व का अन्तरण होगा जैसा कि दान तथा विक्रय में होता है या एक व्यक्ति को जीवन भर के लिए या 10 वर्ष, 20 वर्ष, 1 वर्ष आदि किसी भी समय के लिए दे दे; या यदि वह चाहे तो अनेक व्यक्तियों को एक के बाद दूसरे को दे दे; जैसे - अ के बाद ब को, ब के बाद स को, स के बाद द को आदि या यदि अ चाहे ते ब, स, द, ध चारों को संयुक्त रूप से 10 वर्ष के लिए दे दे या चारों को $2^{1/2}$ ढाई वर्षों के लिए दे दे। यह सभी अन्तरण वैध रहेंगे। शाश्वतता वैध रहेगी। धारा 14 नहीं लागू होगी।

भावी हित का अन्तरण वैध एवं प्रवर्तनीय होना चाहिये

ऐसे अन्तरण का विवरण सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 13 में दिया गया है जिसके अनुसार अज्ञात व्यक्ति को अन्तरण करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तों का अनुपालन अनिवार्य है; जैसे - पूर्वहित का सृजन तथा अजात व्यक्ति को पूर्ण हित का अन्तरण धारा 14 के सिद्धांत के प्रवर्तन के लिए इन दोनों शर्तों की उपस्थिति वांछनीय है।

धारा **14** के आवश्यक तत्व

धारा 14 के निम्न तत्व उल्लेखनीय हैं :-

(1) अन्तरण - धारा 14 तभी लागू होगी यदि किसी सम्पत्ति का विक्रय या दान आदि किया जाय। वसीयत के मामलों में सक्सेशन ऐक्ट लागू होगा।

इसी तरह पारिवारिक बन्दोबस्त, खानदानी बंटवारा, समर्पण आदि में भी धारा 14 नहीं लागू होगी, क्योंकि ऐसे कार्य सम्पत्ति-अन्तरण अधिनियम में अन्तरण नहीं माने गये हैं।

(2) सम्पत्ति में हित का सृजन - धारा 14 उन्हीं अन्तरणों में लागू होगी जो किसी हित के सृजन की क्षमता रखते हों और वह हित किसी सम्पत्ति में दिया जाना हो। सम्पत्ति से परे हित का सृजन धारा 14 के दायरे से बाहर होगा; जैसे - वैयक्तिक संविदायें, अग्रक्रयाधिकार, विक्रय के लिए करार आदि।

(3) एक जीवित व्यक्ति या अनेक जीवित व्यक्ति - पूर्वहित चाहे एक व्यक्ति को दिया जाय, चाहे अनेक व्यक्तियों को दिया जाय, चाहे सभी को क्रमशः एक-एक करके दिया जाय या संयुक्त रूप में उपभोग के लिये दिया जाय, शाश्वतता के विरुद्ध सिद्धांत के प्रयोग में कोई अन्तर नहीं पड़ सकता। कानूनी अनिवार्यता एक ही पूर्वहित के सृजन से पूरी हो जाती है। अनेक पूर्वहितों के सृजन अन्तरणकर्त्ता की सुविधा एवं अन्तिम अन्तरिती की शीघ्रतर या देर की उपस्थिति आदि पर निर्भर होगा। अ अजात द को सम्पत्ति देना चाहता है। यदि द के जन्म में अभी देर हो तो ब को जीवन भर के लिये, स को जीवन भर के लिये, ध, न, प, फ, म आदि सैकड़ों व्यक्तियों को भी जीवन भर के लिये पूर्वहित दिया जा सकता है क्योंकि ऐसे सारे व्यक्ति अन्तरण की तिथि पर जीवित होंगे और पृथक-पृथक या संयुक्त उम्र 125 वर्ष या 200 वर्ष से अधिक नहीं हो सकेगी। सम्पत्ति पर प्रतिबन्ध शाश्वत न होकर निश्चित समय तक ही रहेगा।

(4) अन्तिम अन्तरिती की अवयस्कता 18 वर्ष या 21 वर्ष - अवयस्कता तक शाश्वतता वैध करार दी गई है। यदि अन्तिम अन्तरिती जाबालिग हो या अजात हो परन्तु आगे वर्णित अर्हता मापदण्ड पर खरा उतरे तो सम्पत्ति का अन्तरण उस व्यक्ति की वयस्कता तक वैध होगा। वयस्कता का निर्धारण इंडियन मेजारिजी ऐक्ट के अनुसार होगा जिसमें 18 वर्ष की आयु वयस्कता के लिये मान्य है। परन्तु यदि किसी व्यक्ति का संरक्षक नियुक्त हुआ हो तो अवयस्कता की समाप्ति 21 वर्ष की अवस्था में मानी जायेगी। सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के अन्तर्गत अन्तिम अन्तरिती की अवयस्कता तक फैला अन्तरण वैध होगा चाहे वयस्कता 18 वर्ष में मिले या 21 वर्ष या मिले। अन्तरिती जब वयस्क होगा, उसके बाद एक मिनट भी आगे लागू अन्तरण शून्य एवं अवैध होगा। परन्तु अन्तरण की तिथि पर तो यह निश्चित नहीं रहता कि अमुक व्यक्ति के लिये संरक्षक नियुक्त होगा और शाश्वतता अन्तरण की तिथि पर ही निर्धारित की जायेगी अतएव व्यावहारिक रूप में 18 वर्ष की अवस्था ही वयस्कता के लिये मान्य होती है। सुन्दर राजन बनाम सुब्राजन के वाद में प्रिवी काउन्सिल ने ऐसी ही राय व्यक्त की थी। इस मामले में अन्तरण अ की लड़कियों को जीवन भर तथा उनके बच्चों को 21 वर्ष की उम्र पर किया गया। तर्क था कि बच्चों के संरक्षक नियुक्त हैं, अतः 21 वर्ष तक विस्तार वैध है। इसे माना नहीं गया।

(5) अवयस्कता का लाभ अन्तरण के अन्त में नहीं प्राप्त होगा - भारतीय विधि के अनुसार अन्तिम अन्तरिती यदि अवयस्क हो तो कानून उसके हितों के संरक्षण का विधान करने के लिये कृत संकल्प है परन्तु अजात व्यक्तियों को अन्तरण निश्चित विधि के अनुसार किये जाने पर ही वैध होगा। भारतीय विधि में शाश्वतता के प्रारम्भ में गर्भस्थ शिशु का अवशिष्ट गर्भकाल भी जोड़ा जायेगा आंग्ल विधि में अवयस्कता का समय शाश्वतता के प्रारम्भ में भी जोड़ा जाता है तथा अन्त में भी जोड़ा जा सकता है, उदाहरणार्थ, इंग्लैण्ड में शाश्वतता का अधिकतम समय निम्न प्रकार का होगा।

जैसे सम्पत्ति X के सबसे बड़े बच्चे को जीवन भर के लिए दी गई। उसके बाद अवशिष्ट हित X के सबसे बड़े पौत्र को 21 वर्ष हो जाने पर दिया गया। अन्तरण के समय X का बड़ा बच्चा गर्भ में है। अन्तरण वैध ही रहेगा, भले ही X का बड़ा बच्चा अपनी पत्नी के गर्भ में अन्तिम अन्तरिती को छोड़कर मर जाय। X का बड़ा बच्चा तो जीवित व्यक्ति माना जायेगा और X के पौत्र के गर्भ काल तक विस्तृत हित वैध ही रहेगा। दोनों तरफ के गर्भकाल मान्य रहेंगे।

(6) <u>भारतीय विधि में अवधि के बाद गर्भकाल का लाभ अन्तरिती को नहीं प्राप्त होता</u> – चूंकि भारतीय विधि में अवधि के बाद गर्भ काल का लाभ अन्तरिती को नहीं प्राप्त होता, अतएव अधिकतम शाश्वतता अवधि निम्न प्रकार होगी–
पूर्वहित प्राप्त व्यक्ति + अन्तरिती का गर्भकाल + अन्तिम अन्तरिती का अवयस्कता गर्भकाल का लाभ सामान्य नियम के अनुसार नहीं मिलता। वस्तुतः इसे उस स्थिति में दिया जाता है जब कि अन्तरिती तथ्यतः गर्भस्थ हो।

(7) <u>शाश्वतता अवधि की गणना एवं प्रारम्भ</u> – शाश्वतता अवधि की गणना किस समय से होगी? इस प्रश्न का हल विलेख की प्रकृति के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है। वसीयत के मामलों में इस सिद्धांत का प्रयोग वसीयतकर्त्ता की मृत्यु के समय वर्तमान तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार होता है। परन्तु दान या अन्य प्रपत्रों द्वारा किये जाने वाले अन्तरणों में स्वामित्व तुरन्त ही अन्तरित हो सकता है। अतएव, ऐसा अन्तरण शाश्वत है या नहीं? इसका निर्धारण, कागजात एवं विलेखन की तिथि से किया जा सकता है। यदि अन्तरण शाश्वत है तो अवैध है।

(8) <u>शाश्वतता का निर्धारण वास्तविकताओं पर निर्भर नहीं होता</u> – शाश्वतता के सिद्धांत का प्रयोग वास्तविक घटनाओं पर निर्भर नहीं होगा। यदि वर्तमान अन्तरण शाश्वतता के अधार पर अवैध हो तो उसे बाद में इस आधार पर वैध नहीं माना जा सकेगा कि वास्तविक घटना शाश्वतता का प्रवर्तन नहीं कर रही है।

उदाहरणार्थ – अ ने ब को जीवनहित अन्तरित किया। ब के बाद सम्पत्ति में पूर्ण हित उसकी भावी पत्नी को दिया गया। उसके बाद उन बच्चों को वही सम्पत्ति दी गई जो ब या उसकी पत्नी की मृत्यु के समय (दोनों में जिसकी मृत्यु बाद में हो) वर्तमान हो। क्या अन्तरण वैध है? ब का विवाह भी सम्भव है। बच्चे भी सम्भव हैं। ब का उसकी पत्नी की मृत्यु के समय जीवित रहना भी सम्भव हो सकता है। इस तरह ब (पूर्वहित) के रहते हुए ही अन्तिम अन्तरिती (बच्चों का जीवित रहना) हो सकता है। फिर भी बच्चों को किया गया अन्तरण शून्य होगा क्योंकि बच्चों के जीवन में आने के पहले ही ब की मृत्यु हो सकती है।

(9) <u>निहितता का सिद्धांत (प्रिंसिपुल आफ वेस्टिंग)</u> – सम्पत्ति निहित हो जाने पर शाश्वतता खत्म नहीं होती। हित निहित हो जाने पर भी सम्पत्ति का मिलना दूर हो सकता है उदाहरणार्थ अजन्मे शिशु को किये गये अन्तरणों में बच्चा जन्म पाते ही सम्पत्ति उसमें निहित हो जायेगी परन्तु शाश्वतता अवधि उसके बालिग होने तक फैली रहेगी।

(10) <u>पूर्वहित की समाप्ति के पूर्व या तक अन्तिम अन्तरिती का अस्तित्व में आना</u> – पूर्वहित के समाप्त होने के पूर्व सम्पत्ति का अन्तिम अन्तरिती में निहित हो जाना अनिवार्य है। सम्पत्ति–अन्तरण अधिनियम की धारा 14 में स्पष्ट विवरण है कि शाश्वतता के सिद्धांत के अनुसार अन्तरण तभी वैध होगा जब कि शाश्वतता की निर्धारित अवधि के बीच अन्तरित हित का निहित होना निश्चित हो तथा हित तभी निहित होगा जब कि अन्तिम अन्तरिती योग्यता को परीक्षा (क्वालिफाईंग टेस्ट) में सफल हो गया हो। यह परीक्षा उसके जन्म की घटना से सम्बद्ध है। यदि उसका जन्म पूर्वहित समाप्त होने के पूर्व हुआ हो तो सम्पत्ति अन्तरिती के पैदा होते ही उसमें निहित हो जायेगी परन्तु सम्पत्ति को पूर्ण उपभोग उसकी अवयस्कता तक निलम्बित

किया जा सकेगा।

निहितता सिद्धांत के निम्न आवश्यक तत्व है :-

(i) अन्तरिती को निश्चित करने की समस्या जैसें अन्तरिती कौन हैं, सम्पत्ति किसे दी गई है, किसमें निहित होती है इसे जल्द से जल्द स्पष्ट हो जाना चाहिये। जब तक अन्तिम लाभार्थी की स्थिति स्पष्ट नहीं होती अन्तरण का शाश्वत होना स्पष्ट नहीं होता।

(ii) अन्तरित हित की निश्चित मात्रा एवं स्वरूप, क्या अन्तरित किया जा रहा है यह भी स्पष्ट होना चाहिये। यह तो स्पष्ट है कि अन्तरिती (अन्तिम लाभार्थी) को पूर्ण अवशिष्ट हित देना होगा। फिर भी व्यवहार में उसे क्या हित मिला यह भी स्पष्ट होना चाहिये।

(iii) सामर्थ्यदायिनी घटनाओं का घटित होना – पूर्व हित की समाप्ति पर ही अन्तिम लाभार्थी को अवशिष्ट हित मिलेगा लेकिन पूर्व हित की सीमा क्या है? पूर्ण हित कब व कैसे समाप्त होकर अवशिष्ट हित अन्तिम लाभार्थी को मिलेगा यह सारी बातें शाश्वतता की प्रकृति व अवधि निधारित करने में उपयोगी साबित होंगी।

शाश्वतता के विरूद्ध नियम के अपवाद

शाश्वतता के विरूद्ध सिद्धांत निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं लागू होगा जिससे अन्तरण शाश्वत होते हुए भी वैध होगा :-

(1) दान – शाश्वतता उस स्थिति में वैध होगी जब किसी सम्पत्ति का अन्तरण जनहित, शिक्षा, धर्म, वाणिज्य, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा मानव-जाति के लिए हितकर अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया हो। ऐसे मामलों में अन्तरित सम्पत्ति सदा के लिए सांसारिक प्रयाजनों एवं वाणिज्य से पृथक मान ली जाती है।

(2) वैयक्तिक प्रतिसंविदाएँ – नफर चन्द बनाम कैलाश चन्द में अ किसी ठाकुर परिवार का था। उसने ब, जो चटर्जी परिवार का था, इसे मंदिर का पुजारी नियुक्त किया और कुछ जमीन उसके भरण-पोषण के लिये अलग कर दी। साथ में यह शर्त रखी कि ब तथा उसके परिवार वालों को ही पीढ़ी-दर-पीढ़ी मन्दिर का पुजारी नियुक्त किया जायेगा जब तक कि उन्हें किसी दुर्व्यवहार का दोषी न पाया जाय। क्या यह शर्त वैध थी? इस शर्त का सम्बन्ध किसी सम्पत्ति से न होकर व्यक्तियों तक ही सीमित था, अतएव तज्जनित शाश्वतता वैध मानी जा सकती है।

(3) निहित हित –सिद्धांत उन मामलों में भी नहीं लागू होगा जिनमें हित का अन्तरण ही न हो जैसे प्रभार। इसके अतिरिक्त चाहे पक्ष हिन्दू हो या मुसलमान, सम्पत्ति चल हो या अचल धारा 14 बिना किसी कठिनाई के लागू होती रहेगी।

नवीनीकरण की शर्त के साथ किया गया पट्टा शाश्वतता नियम के द्वारा नहीं प्रभावित होगा

पट्टे की शर्त के अनुसार 100 वर्ष बाद यदि पट्टा लेने वाले ने चाहा तो उतनी अवधि के लिए उसी शर्त तथा उसी किराये पर पट्टे का नवीनीकरण होगा। पट्टा देने वाले व्यक्ति को नवीनीकरण में कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसे मामलों में नवीनीकरण का विकल्प धारा 14 के द्वारा अवैध हित का सृजन नहीं है क्योंकि धारा 14 में निहित शाश्वतता का सिद्धांत केवल उन्हीं मामलों में लागू होगा जिनमें संपत्ति का अन्तरण हो। पट्टा के तमाम हित सदा अवशिष्ट ही रहते हैं। नवीनीकरण से नया हित नहीं दिया जाता, अतएव यह सिद्धांत ऐसे मामलों में नहीं लागू होगा।

धारा 15 उस वर्ग को अन्तरण, जिसमें के कुछ व्यक्ति धारा 13 और 14 के अंदर आते हैं

यदि सम्पत्ति-अन्तरण से उस सम्पत्ति में किसी हित का सृजन ऐसे व्यक्तियों के किसी वर्ग के लाभ

के लिए किया जाता है जिनमें से कुछ के सम्बन्ध में ऐसा हित धारा 13 और 14 में अन्तर्विष्ट नियमों में से किसी के कारण निष्फल हो जाता है तो ऐसा हित केवल उन्हीं व्यक्तियों के सम्बन्ध में, न कि सम्पूर्ण वर्ग के सम्बन्ध में निष्फल हो जाता है।

व्याख्या

वर्ग को किये जाने वाले अन्तरण

उस वर्ग में शामिल ऐसे व्यक्ति को नहीं प्राप्त होगा जो धारा 13 या 14 के द्वारा न पा रहा हो शेष को मिलेगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि अन्तरिती का परिचय एक वर्गीय संबोधन के माध्यम से कराया जाता है और निर्धारित तिथि पर ऐसा हो सकता है कि वर्ग का पूर्ण स्वरूप न निखर सका तो प्रश्न है कि क्या ऐसे वर्गीय अन्तरण विफल होंगे? धारा 15 के अनुसार ऐसा नहीं होगा। वर्ग उस समय उन्हीं सदस्यों द्वारा ही पूर्ण रूप से गठित मान लिया जायेगा जो निर्धारित तिथि पर अर्हता अर्जित कर चुके हों। वर्ग वहीं समाप्त मान लिया जायेगा। उस समय विद्यमान सदस्य लाभ के अधिकारी हो जायेंगे। आगे पैदा होने वाले सदस्यों को लाभ से वंचित कर दिया जायेगा। उदाहरणार्थ अ ने ब को सम्पत्ति जीवन भर के लिये दी। उसके नाम ब के ऐसे लड़कों को सम्पत्ति दी गई जो ब के जीवन की समाप्ति तक पैदा हो चुके हों। ब की मृत्यु 1 जनवरी 2002 को हो जाती है। इस तारीख पर उसके चार लड़के थे। मार्च, 2002 को पाँचवाँ लड़का भी पैदा हो जाता है। सम्पत्ति वर्ग के लिये थी। वर्ग का निर्धारण ब की मृत्यु अर्थात् 1-1-2002 को पैदा हो गया। ब के चार ही बच्चे सम्पत्ति पा सकेंगे। किन्तु पाँचवाँ बच्चा सम्पत्ति नहीं पा सकेगा।

धारा 16 अन्तरण का किसी पूर्विक हित की निष्फलता पर प्रभावी होना

जहाँ कि व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग के फायदे के लिए सृष्ट हित धाराओं 13 और 14 में अन्तर्विष्ट नियमों में से किसी के कारण ऐसे व्यक्ति या ऐसे सम्पूर्ण वर्ग के सम्बन्ध में निष्फल हो जाता है, वहाँ उसी संव्यवहार में सृष्ट और ऐसे पूर्विक हित की निष्फलता के पश्चात् या पर प्रभावी होने के लिए आशयित कोई हित भी निष्फल हो जाता है।

धारा 17 संचयन के लिए निदेश –

(1) जहाँ कि सम्पत्ति के किसी अन्तरण के निबन्ध निर्दिष्ट करते हैं कि उस सम्पत्ति से उद्भूत आय

– (क) अन्तरक के जीवन से, या

(ख) अन्तरण की तारीख से अठारह वर्ष की कालावधि से,

अधिक कालावधि तक पूर्णतः या भागतः संचित की जाएगी, वहाँ एतस्मिन्पश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाय ऐसा निदेश वहाँ तक शून्य होगा जहाँ तक कि वह कालावधि, जिसके दौरान संचय करना निर्दिष्ट है, पूर्वोक्त कालावधियों में से दीर्घतर कालावधि से अधिक हो और ऐसी अन्तिम बर्णित कालावधि का अन्त होने पर वह सम्पत्ति और उसकी आय इस प्रकार व्ययनित की जायगी मानो वह कालावधि का अन्त होने पर वह सम्पत्ति और उसकी आय इस प्रकार व्ययनित की जायगी मानो वह कालावधि, जिसके दौरान संचयन करना निर्दिष्ट किया गया है, बीत गई है।

(2) यह धारा ऐसे किसी निदेश पर प्रभाव न डालेगी जो –

(i) अन्तरक के ऋणों को यह अन्तरण के अधीन कोई हित पाने वाले किसी अन्य व्यक्ति के ऋणों को संदाय करने के, अथवा

(ii) अन्तरक के या अन्तरण के अधीन कोई हित पाने वाले किसी अन्य व्यक्ति के पुत्र-पुत्रियों या दूरतर सन्तति के लिये भागों का उपबन्ध करने के, अथवा

(iii) अन्तरक सम्पत्ति के परिरक्षण या अनुरक्षण के, प्रयोजन से संचय करने के लिए हो, और ऐसा निदेश तदनुकूल किया जा सकेगा।

t g ki Ak j k 11 अंतरित संपत्ति के उपभोग पर निर्बन्ध को शून्य पोषित करती हैं, वहीं धारा –17

इसका अपवाद गठित करती है। इस धारा के अनुसार किसी संपत्ति के अंतरण पर उसकी आय को संचित किये जाने की शर्त अकिरोपित की जा सकती है। इस प्रकार धारा –17 धारा –17 का अपवाद गठित करती है।

धारा – 17 के अनुसार ऐसा संचयन केवल –

– 1. अंतरणकर्ता के जीवनकाल तक के लिए ; या

2. अंतरण की तिथि से 18 वर्ष बाद तक के लिए ही हो सकता है। यदि शर्त में इसके आगे की संचयन को कहा गया है तो आगे शर्त निष्प्रभावी हो जायेगी। शर्त दोनों में से किसी भी अवधि के बने रहने तक प्रभावी रहेगी।

धारा – 17 के अपवाद – निम्नलिखि उद्देश्यों से संचयन के लिए अगामी गयी शर्तें धारा – 17 की परिधि से बहार होती हैं–

(क) अंतरणकर्ता के ऋणों को चुकाने के लिए संचयनः

(ख) अंतरण के अधीन कोई अन्य हित पाने वाले व्यक्ति के कारणों को चुकाने के लिए संचयन

(ग) अंतरणकर्ता या हित पाने वाले अन्य व्यक्ति के संतानों के लिए संचयन : या

(घ) अंतरित संपत्ति के परिरक्षण यहं अनुरक्षण के लिए संचयन।

धारा 18 लोक के लाभ के लिए शाश्वत अन्तरण

धारा 14, 16 और 17 में के निर्बन्धन ऐसे सम्पत्ति अन्तरण की दशा में लागू नहीं होंगे जो लोक के फायदे के लिये धर्म, ज्ञान, वाणिज्य, स्वास्थ्य, क्षेम को या मानव जाति के लिये लाभप्रद किसी अन्य उद्देश्य की अग्रसर करने के लिये किया गया हो।

धारा 19 निहित हित

जहाँ किसी सम्पत्ति–अन्तरण से किसी व्यक्ति के पक्ष में उस सम्पत्ति में कोई हित, वह समय विनिर्दिष्ट किये बिना, जब से वह प्रभावी होगा, या शब्दों में यह विनिर्दिष्ट करते हुए कि वह तत्काल या किसी ऐसी घटना के घटित होने पर जो अवश्यम्भावी है, प्रभावी होगा, सृष्ट किया जाता है, वहाँ जब तक कि अन्तरण के निबन्धनों से प्रतिकूल आशय प्रतीत न होता हो, ऐसा हित निहित हित है। निहित हित कब्जा अभिप्राप्त करने से पहले अन्तरिती की मृत्यु हो जाने पर विफल नहीं हो जाता।

टिप्पणी

जब तक कि अन्तरण के निबन्धों से प्रतिकूल आशय प्रतीत न होता हो, सम्पत्ति के अन्तरण पर एक व्यक्ति निहित हित प्राप्त करता है कि यदि अन्तरण :–

(i) वह समय विनिर्दिष्ट न करता तो जबसे वह हित प्रभावी होगा; या

(ii) यह विनिर्दिष्ट करता है कि हित तत्काल प्रभावी होगा; या

(iii) किसी ऐसी घटना के घटित होने पर, जो अवश्यम्भावी है, प्रभावी होगा।

यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोई हित निहित है या नहीं इस बात की कसौटी उस व्यक्ति का आशय है जो हित का सृजन कर रहा है या सम्पत्ति का अन्तरण कर रहा है।

यदि हित किसी घटना के घटित होने पर प्रभावी होना है तो घटना ऐसी होनी चाहिए जिसका घटित होना अवश्यम्भावी है जैसे मृत्यु। यदि हित का प्रभावी होना ऐसी घटना के घटित होने पर प्रभावी होना है, जो घट भी सकती है और नहीं भी घट सकती है तो हित निहित नहीं होगा। जैसे 'व' की शादी पर 'अ' को 10, 000 रूपये का दान। यहाँ हित निहित नहीं है अपितु समाश्रित है क्योंकि 'व' शादी कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है।

दृष्टांत

(i) 'क' 100 रूपए की वसीयत 'ख' को करता है जो 'ग' की मृत्यु पर उसे संदत्त किये जाने है।